

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2023 — अश्विन 19, शक 1945

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक 104/सी.एस.इ.आर.सी./2023.— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 30, 39(2)(डी), 40(सी), 42(2), 42(3), 86(1)(सी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में आयोग को सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग इसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011 (बाद में इसे “मूलविनियम” के रूप में संदर्भित किया जाएगा), में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।

2. खण्ड 33(6)(iii) का संशोधन—मूल विनियम के खण्ड 33(6)(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:—

“ऐसा अधिभार टैरिफ श्रेणी/टैरिफ स्लैब और/या वोल्टेज स्तर के क्रॉस सब्सिडी के वर्तमान स्तर पर आधारित होगा, जिससे ऐसे उपभोक्ता संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं, जैसा भी मामला हो। इसकी गणना सब्सिडी प्रदान करने वाले श्रेणी के उपभोक्ता के लिए ऐसी आपूर्ति वोल्टेज के लिए औसत टैरिफ और लाइसेंसधारी के लिए आपूर्ति की औसत लागत के बीच अंतर लेकल औसत लागत पद्धति के आधार पर की जानी है, जो उस वर्ष के लिए आपूर्ति की समायोजित औसत लागत की 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन है।

उदाहरण: मान लीजिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज उपरोक्त गणना अनुसार 200 पैसे प्रति यूनिट आती है तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आपूर्ति की समायोजित औसत लागत रुपये 6.75/यूनिट हैं। अतः आपूर्ति की समायोजित औसत लागत का 20 प्रतिशत रुपये 1.35/यूनिट होगा। यहाँ, गणना की गई

क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज 200 पैसे/यूनिट, आपूर्ति की समायोजित औसत लागत के 20 प्रतिशत यानी 135 पैसे/यूनिट से अधिक है। इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज 135 पैसे/यूनिट होगा।

3. खण्ड 33(6)(iv) और 33(6)(v) को विलोपित किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(एस.पी.शुक्ला)
सचिव.

Raipur, the 26th September 2023

NOTIFICATION

No. 104/CSERC/2023.— In exercise of powers conferred under Section (30), 39 (2) (d), 40 (c), 42 (2), 42(3), 86 (1)(c) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes following regulations, to amend Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Intra-State Open Access in Chhattisgarh) Regulations, 2011(hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

1. **Short title and commencement:**

- (1) These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Intra-State Open Access in Chhattisgarh) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- (2) These Regulations shall be effective from 1st April, 2024.

2. **Amendment of Clause 33 (6) (iii) -Clause 33 (6) (iii) of the Principal Regulation shall be substituted namely: -**

"Such surcharge shall be based on the current level of cross subsidy of the tariff category / tariff slab and / or voltage level to which such consumer, belong or are connected to, as the case may be. It is to be calculated based on the average cost method by taking the difference between the average tariff for such supply voltage for the consumer of subsidizing category and the average cost of supply for the licensee subject to the ceiling limit of 20% of adjusted average cost of supply for that year.

Illustration: Suppose, the cross subsidy surcharge worked out for FY 2024-25 is 200 paise per kwh and adjusted average cost of supply for FY 2024-25 is Rs. 6.75/kWh. Then 20% of adjusted average cost of supply will be Rs. 1.35/kWh. Here, computed cross subsidy surcharge 200 paise/unit is more than 20% of adjusted average cost of supply i.e.135 paise/unit. Therefore, the cross subsidy surcharge for FY 2023-24, will be 135 paise/unit."

3. **Clause 33 (6) (iv) and Clause 33 (6) (v) shall be omitted.**

By order of the Commission

Sd/-

(S. P. Shukla)
Secretary.